

आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा वाड की इसी स्तर पर प्रशासित करना चाहते हैं। फल: वाड का इसी स्तर पर खारिज करने के आदेश प्रदान करें। हमारे द्वारा वकील वाडी की सहायता गरी थी कि प्रकरण में वाडी व परिवार के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है अतः वाड को चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। वाड प्रशासित करने की सहमति में वाडी के हस्ताक्षर तथा परिवार में 1 के हस्ताक्षर कराये गये अतः वाडी का वाड क्रमांक 19/2000 उन्वान श्रीमा डी व/र रामेश्वर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। परावर्ती पत्र नम्बर 100/2000 के क्रम है।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

